छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा)
शास्त्री चौक, रायपुर (छ0ग0) पिन– 492001
फोन नंबर :– 0771 – 4918927

क्रमांक : 02/रेरा/2018 रायपुर, दिनांक 02/04/2018

//प्रेस–विज्ञप्ति//

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन हेतु रेरा ने जारी की एस.ओ.पी.

रेरा में बिना पंजीयन के प्रोजेक्ट की नहीं होगी खरीदी–बिक्री

रेरा अधिनियम लागू होने के उपरांत रियल एस्टेट के सभी प्रोजेक्ट्स का पंजीयन रेरा के अंतर्गत कराना अनिवार्य है। इन प्रावधानों की मंशा यह है कि किसी भी रियल एस्टेट प्रोजेक्ट में सम्पत्ति क्रय करने पर क्रेता के हितों की सुरक्षा हो। छत्तीसगढ़ रेरा ने गठन के तुरंत पश्चात् फरवरी 2018 से ही रजिस्ट्रेशन संबंधी कार्य प्रारंभ कर दिया है। छत्तीसगढ़ रेरा ने अधिनियम के प्रावधानों का पालन कराने हेतु कड़ाई प्रारंभ कर दी है। इसके तहत रेरा ने सभी प्रमोटर्स को ऑन–गोईंग व नवीन प्रोजेक्ट्स के रेरा में दिनांक 31 मई 2018 के पूर्व अनिवार्य रजिस्ट्रेशन हेतु निर्देशित किया है।

रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स के रजिस्ट्रेशन हेतु प्रमोटर्स की सुविधा की दृष्टि से रेरा ने मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) जारी की है, जिसमें प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को सरलता से वर्णित किया गया है, इससे प्रोजेक्ट रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को समझने में काफी आसानी होगी। रियल एस्टेट प्रोजेक्ट के पंजीयन हेतु रेरा के वेबपोर्टल https://rera.cgstate.gov.in/ के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन किया जा सकता है। रजिस्ट्रेशन संबंधी परिपत्र व निर्देशों के साथ आवेदन–पत्र एवं संलग्न किये जाने वाले आवश्यक दस्तावेजों की चेकलिस्ट व संबंधित प्रारूप रेरा के वेबपोर्टल में उपलब्ध हैं। रेरा ने जारी SOP में स्पष्ट किया है कि दिनांक 1 मई 2017 तक जिन प्रोजेक्ट में सक्षम प्राधिकारी द्वारा पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी नहीं किया गया है, उन्हें रेरा में रजिस्ट्रेशन अनिवार्य हैं। रेरा ने यह भी स्पष्ट किया है कि बंधक मुक्ति संबंधी दस्तावेज को पूर्णता प्रमाण–पत्र नहीं माना जाएगा। रेरा ने प्रोजेक्ट पंजीयन के संबंध में आने वाले कठिनाईयों के निराकरण हेतु हेल्पलाईन नंबर 0771–4918927 भी जारी किया है। इसके अतिरिक्त रेरा के ई–मेल office.rera.cg@gov.in पर भी कठिनाईयाँ प्रेषित की जा सकती हैं।

02/04/18

(अजय कुमार अग्रवाल)
रजिस्ट्रार
भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण
छत्तीसगढ़, रायपुर